न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 431 / 2020

प्रार्थी :

अलादीन खां पुत्र गनी खां
जातियान सिन्धी मुसलमान
निवासीगण चोकिन की ढाणी
जसपाली तहसील पीपाड़ शहर
जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :

1. इबू खां पुत्र फोजू खां उर्फ कोजु खां
2. इस्माइल पुत्र पुत्र फोजू खां उर्फ कोजु खां
3. नाथू खा पुत्र फोजू खां उर्फ कोजु खां जातियान सिन्धी मुसलमान निवासी चोकीन की ढाणी जसपाली
4. मेरी पत्नि हासम खां पुत्री फोजू खां उर्फ कोजु खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी रइया की ढाणी बोयल
5. आसी पत्नि भीके खां पुत्री फोजू खां उर्फ कोजु खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी आमली की ढाणी शेखनगर
6. सुरमा पत्नि गनी खां पुत्री फोजू खां उर्फ कोजु खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी मस्जिद की ढाणी शेखनगर
7. भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता
श्री फारूख खान सिन्धी प्रार्थी की ओर से
श्री मन्सुर अली छीपा अप्राथी सं. 1, 2, 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक : 31.03.2021

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम चाकीन की ढाणी का निवासी है एवं प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि ख.नं. 1748 रकबा 1.3672 हैक्टेयर ग्राम पीपाड़ शहर पटवार हल्का पीपाड़ शहर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पीपाड़ शहर के खतोनी के खाता संख्या नया 45 व पुराना 635 पर इन्द्राज है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम पीपाड़ शहर मे स्थित ख.नं. 1748 रकबा 1.3672 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय स्थित है। जिस पर प्रार्थी काश्त कार्य करता आ रहा है। परन्तु प्रार्थी के खातेदारी खेत मे आने जाने हेतु कोई रास्ता सरकारी या राजस्व रेकार्ड मे नही है इसलिए प्रार्थी को अपनी

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

कृषि भूमि मे काश्त कार्य हेतु व अपने खेत मे आने जाने के लिए व मवेशियो वगेराह व कृषि कार्यो के उपयोग मे आने वाले ट्रेक्टर लाने ले जाने मे दिक्कत का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी के खेत ख. नं. 1748 के पश्चिम तरफ अप्रार्थीगण के खेत ख.नं. 1744 व 1743 स्थित है जो राजस्व रेकार्ड मे अप्रार्थीगण के पिता स्व. फोजू खां पुत्र मीर खां जाति सिन्धी के नाम ग्राम पीपाड़ शहर के खतोनी के खाता संख्या नया 696 व पुराना 642 पर इन्द्राज है। जो अप्रार्थीगण सं. 1 से 6 के पिता फोजू खां पुत्र मीर खां के नाम राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज है। अप्रार्थीगण सं. 1 से 6 स्व. फोजू खां के विधिक वारीसान है एवं वर्तमान मे स्व. फाजू खां के नाम खेत खसरा संख्या 1744 व 1743 पर काबिज काश्त है व उपरोक्त खसरान के पश्चिमी माठ पर डामर सडक जिसका ख. नं. 1741 जो पीपाड़ शहर से बोयल जाने वाली स्थित है। प्रार्थी अलादीन खां के खेत के पश्चिमी तरफ स्थित है अप्रार्थीगण सं. 1 से 6 का ख. नं. 1744 व 1743 स्थित है अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1744 व 1743 के उत्तरी माठ के सहारे–सहारे 12 फिट चौडाई मे प्रार्थी के खेत तक रास्ता दिलवाया जाये उपरोक्त मांग किये गये रास्ते को नजरी नक्शे मे मार्क ए बी सी डी से दर्शाया गया है। प्रार्थी के खातेदारी खेत मे आने जाने हेतु रास्ते की अति आवश्यकता है क्योंकि प्रार्थी के उपरोक्त खसरा नं. 1748 मे आने जाने का कोई रास्ता नही है एवं प्रार्थी को भारी दिक्कत का सामना करना पडता है इसलिए प्रार्थी को उपरोक्त कानून का सहारा लेना पड रहा है। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते हेतु राज्य सरकार के आदेशानुसार एवं श्रीमान न्यायालय हाजा के आदेशानुसार राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को ग्राम पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा मे स्थित अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 1744 व 1743 के उत्तरी तरफ वाली माठ के सहारे–सहारे 12 फिट चौडाई मे रास्ता दिलवाया जाने के आदेश फरमावे एवं उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड मे दर्शित करवाये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी सं. 1, 2, 3 की ओर से वकील मन्सूर अली छीपा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया । उक्त प्रकरण में दोनो वकुलायो द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया । सभी ने राजीनामा होना एवं उसकी विषय वस्तु से सहमति प्रकट की एवं रास्ते की भूमि 1743, 1744 में से 2 गट्टे की चौड़ाई एवं लम्बाई के बदले खसरानम्बर 1748 में से भूमि देने का आदेश पारित किया जाता है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं राजीनामा का अवलोकन कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 1743,1744 में से 2 गट्टे की चौड़ाई एवं लम्बाई के बदले खसरा नम्बर 1748 में से भूमि देने का आदेश पारित किया जाता है । तद्नुसार तहसीलदार पीपाड़ शहर निर्णय की पालना की जाना सुनिश्चित करावें ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर